

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2002

का.आ. 1123(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 12 अक्टूबर, 1994 की अधिसूचना सं० सा० आ० 740(अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने भगवान महावीर कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, जॉर्नल हाऊस, ए-95 जनता कालोनी, जयपुर, राजस्थान-302004 द्वारा जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर राजस्थान

में स्थित परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 3 पर विनिर्दिष्ट किया था ,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को दो वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भगवान महावीर कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, जोर्नल हाऊस, ए-95 जनता कालोनी, जयपुर, राजस्थान-302004 द्वारा चलाई जा रही जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर राजस्थान में स्थित परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से दो कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र तेइस लाख तिरानबे हजार रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती है ।